

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 49/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 08.10.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 3/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 06.01.2020, का.आ. 123 (अ) दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्रकाशित, अधिसूचना सं.27/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 24.06.2020, का.आ. 2228 (अ) दिनांक 06.07.2020 के साथ पठनीय,में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना सं. 3/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 06.01.2020, का .आ.123(अ) दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्रकाशित की तालिका के क्रम सं.9 को निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

क्र.सं.	नोटिसी का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	में वीओएस टेक्नोलोजीस (इंडिया) प्रा.लि., 44, पहला तल, निशांत कुंज, पीतमपूरा, दिल्ली-110034 और 13 अन्य.	डीआरआईफ़ा. सं. DRI/ HQ-CI/50D/B-Cell/ Int-13/2019-CI दिनांक 29.11.2019.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

			<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.</p>	
			<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>	
			<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा, पोर्टयूसर बिल्डिंग, अदानीपोर्ट, मुँदरा, कच्छ.</p>	
			<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, नोएडा सीमाशुल्क आयुक्तालय, कोंकोर कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश.</p>	
			<p>प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.</p>	
			<p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-जतीपुर (INDWN6), हरियाणा.</p>	
			<p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली.</p>	
			<p>सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली.</p>	

[फा.सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-50/2019-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, कमरा सं. 214, नवीन कस्टम हाउस, आईजीआई एयरपोर्ट के निकट, नई दिल्ली-110037
2. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-जत्तीपुर, हरियाणा
3. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली
4. सहायक/उप आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, दिल्ली
5. उप निदेशक (सीआई), बी-सेल, डीआरआई-मुख्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि नोटिसियों को इस अधिसूचना के संदर्भ में सूचित करें।